Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24600200

फैक्स/Fax : 24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./No. 016/वी.जी.एल./030

दिनांक / Dated 19.09.2016

परिपत्र सं0 10/09/16-(I)

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2016 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग राष्ट्र का शीर्षस्थ सत्यनिष्ठ संस्थान होने के नाते सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है । प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करना ऐसा ही एक विशिष्ट उपाय है जिसमें सभी पणधारियों को भ्रष्टाचार रोकने तथा इससे संघर्ष करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर 2016 तक **'ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता'** विषय पर किया जाएगा ।

2. भ्रष्टाचार एक गंभीर अनैतिक आचरण है जो लोक सेवकों में विश्वास तथा भरोसे को कम करता है तथा जनता का विश्वास केवल अभिशासन में सत्यनिष्ठा से ही प्राप्त किया जा सकता है । आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति, कानून के नियम, लोकतांत्रिक मूल्य तथा एक सुदृढ़ नागरिक समाज ऐसी कुछ मूल पूर्वापेक्षाएं हैं जो समाज में भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष जारी रखने के लिए एक ईमानदार प्रणाली बनाने में आवश्यक हैं । एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सहित सभी पणधारी, नागरिक तथा निजी क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की जिम्मेदारी साझा करें तथा साथ ही अनैतिक कार्यों में लिप्त होने से बचें ।

3. अत:, जागरूक, सक्रिय, भागीदार तथा सशक्त जनता किसी भी भ्रष्टाचार-रोधी अभियान के लिए आवश्यक है । भ्रष्टाचार-रोधी योजनाएं मात्र ऐसी नीतियां नहीं हैं जिन्हें पहले से ही तथा अकेले बनाया जा सके अपितु प्राय: यह सूक्ष्म अंतर्दृष्टियों का एक ऐसा समूह होता है जिसे केवल जन सहभागिता के संयोजन से ही विकसित किया जा सकता है । अत:, भ्रष्टाचार से संघर्ष करने का अर्थ केवल नियम बनाना तथा संस्थान स्थापित करना ही नहीं होता है अपितु यह लोगों की नैतिकता तथा मानवीय मूल्यों में गहराई तक निहित होना चाहिए और भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष को नागरिकों के सहयोग, सहभागिता एवं सभी संबंधितों की सक्रिय सतर्कता के बिना जीता नहीं जा सकता । अत:, आयोग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 का विषय **'ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता'** चुना है ।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सभी अन्य संगठनों में 31 अक्तूबर, 2016 को प्रात: 11.00 बजे लोक सेवकों द्वारा प्रतिज्ञा लेने (प्रति संलग्न) के साथ आरंभ किया जाएगा । सभी संगठनों को यह सलाह भी दी जाती है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अपने संगठन के भीतर तथा जनसाधारण/नागरिकों दोनों के लिए इस विषय से सम्बद्ध गतिविधियों पर निम्नानुसार विचार करें :-

क. संगठन के भीतर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां :

क1. निवारक सतर्कता गतिविधियों/पर्दाफाश प्रणाली तथा अन्य भ्रष्टाचार-रोधी उपायों पर पुस्तिकाएं/पर्चे बांटना ।

क2. संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं तथा निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों तथा अन्य पणधारियों के लिए कार्यशालाएं/सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करना ।

क3. व्यापक प्रचार तथा जागरूकता के लिए सतर्कता मुद्दों/सर्वांगी सुधारों तथा अंगीकृत उपयोगी पद्धतियों पर पत्रिकाओं/सूचना पत्रिकाओं के विशेष अंक जारी करना ।

क4. कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए भ्रष्टाचार-रोधी विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे याद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित करवाना ।

क5. समस्या निवारण के लिए कर्मचारी/उपभोक्ता अनुकूल सूचना तथा उपलब्ध उपायों के प्रचार के लिए संगठन की वेबसाईट का उपयोग करना ।

ख. जनसाधारण/नागरिकों के लिए विशिष्ट गतिविधियाँ:

ख1. कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाईयों तथा जनसंपर्क स्थानों (अर्थात बैंकों की शाखाओं, पैट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों, विमानपत्तनों आदि) में मुख्य स्थानों पर विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करना तथा पर्चों का वितरण करना ।

ख2. उपभोक्ता सेवाओं/गतिविधियों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं/विक्रेताओं/ठेकेदारों आदि के लिए, उपभोक्ता समस्या निवारण शिविरों का आयोजन करना । यह अपेक्षा की जाती है कि संगठनों द्वारा इन शिविरों का आयोजन केवल मुख्यालय में ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में उनके समुचित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी किया जाएगा ।

ख3. विद्यालयों/महाविद्यालयों तथा व्यवसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों के मध्य नैतिक मूल्यों, नीतिशास्त्र, सुशासन पद्धतियों आदि पर वाद-विवाद/वक्तृता/निबंध लेखन/कार्टून/पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा पुरस्कार प्रदान करना । विकल्पत:, छात्रों के साथ पैनल चर्चा या व्याख्यान का आयोजन भी किया जा सकता है ।

पिछले वर्ष की तरह, महाविद्यालय तथा विद्यालय के छात्रों में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, आयोग यह चाहता है कि प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/संगठन की प्रत्येक क्षेत्रीय ईकाई/शाखा द्वारा प्रत्येक शहर/कस्बे में कम से कम 2 विद्यालयों तथा 3 महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं । जिन शहरों को कवर किया जाना है, उनका विवरण एक कार्य योजना के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारियों को पृथक रूप से भेजा जाएगा ।

ख5. भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर नागरिकों को सुग्राही बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में (ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में) जागरूकता का प्रचार करने हेतु "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन करना । इस कार्य को अधिकांशत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाएगा, जो अपनी प्रत्येक शाखा से कहेंगे कि कम से कम दो ग्राम पंचायतों में इन ग्राम सभा जागरूकता का आयोजन किया जाए । जिला के प्रमुख बैंक द्वारा जिला स्तर पर भी इसी प्रकार की सभाओं/बैठकों का आयोजन किया जा सकता है । इस कार्य की विस्तृत कार्य योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को पृथक रूप से भेजी जाएगी ।

ख6. सतर्कता जागरूकता अभियानों में गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों में निगमों, अन्य संस्थानों, सेवा संगठनों तथा स्थानीय क्षेत्र में जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित करना विशेषकर सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रहसन/नुक्कड़ नाटक/पदयात्रा/लंबी दौड़ आदि आयोजित करके ऐसा किया जाए । सतर्कता अध्ययन मंडल भी इन गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करें ।

ख7. जागरूकता का प्रचार करने के लिए सामाजिक मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया का उपयोग करना ।

5. भ्रष्टाचार, इसके दुष्प्रभावों तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष के प्रति जागरूकता का प्रचार करने में जनसाधारण की सहभागिता के लिए आयोग सभी संबंधितों से यह आशा करता है कि इस वर्ष के विषय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी पूरे जोश और उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन तथा संचालन करेंगे ।

6. सप्ताह का अनुपालन करने के बारे में एक रिपोर्ट सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा 30 नवम्बर, 2016 तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए ।

7. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

ह0/-
(नीलम साहनी)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

सेवा में

i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
ii) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव ।
iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ।
iv) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
v) मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग ।
vi) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के मुख्य कार्यकारी ।
vii) मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे । हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे । हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे । हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे । हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे ।

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR